न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 131/2023 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/151)

नन्दसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी लहसोडा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 8.6.1992 प्रकरण संख्या 03/1992 सरकार बनाम नन्दसिंह।

उपस्थितिः–

श्री रघुनन्दनसिंह राजावत वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 08.09.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत कर तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर को अवगत कराया गया कि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 9.6.1989 को भूमि खसरा नम्बर 3/2 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम डागरवाडा का आवंटन निजी वन विकास हेतु विपक्षी/अपीलान्ट के पक्ष में किया गया था। किन्तु अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कब्जा लेने के उपरान्त आज तक वृक्षारोपण नहीं किया है जबकि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल भी अपीलान्ट के नाम किया जा चुका है। अतः अपीलान्ट द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं की है। इसलिऐ उसके पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे। तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपीलान्टस को हुये आवंटन दिनांक 09.06.1989 को निरस्त कर दिया गया है। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.1992 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.09.1992 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को दिनांक 09.06.89

को ग्राम डागरवाड़ा की भूमि साविक खसरा नम्बर 3/2 रकबा 10 बीघा का आवंटन निजी वन विकास हेतु किया गया था। जिसमें अपीलान्ट द्वारा आवंटन की शर्तों के अनुसार बबूल व धोकडा के पेड लगाये गये थे। बरसात नहीं होने के कारण अधिकांश पेड सूख गये थे। इसके बाद अपीलान्ट द्वारा पुनः पेड–पौधे लगाये गये, लेकिन पटपडा झीकरा भूमि होने से वे पौधे भी खराब हो गये थे। अपीलान्ट ने पुनः पौधे लगाने के लिये गढढे खोद रखे थे, लेकिन अपीलान्ट की हल्का पटवारी से किसी अन्य बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसलिऐ हल्का पटवारी ने तहसीलदार को गलत रिपोर्ट पेश की कि अपीलान्ट/आवंटी ने आवंटित भूमि पर पौधे नहीं लगाये। इस आधार पर तहसीलदार ने बिना कोई जॉच किये अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी न तो किसी अन्य स्वतंत्र पटवारी से जॉच करवाई और न ही तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ही प्राप्त की गई। बिना किसी जॉच के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.92 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। तहत अदालत ने निर्णय करने से पूर्व इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया कि आवंटित भूमि झीकरा एवं पटपडा है तथा पर्याप्त बरसात नहीं होने के कारण अपीलान्ट की ओर से लगाए गए पौधे सूखना संभव था। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट को जैर भूमि दिनांक 09.06.89 को आवंटित की गई थी। आवंटन को तीन वर्ष का समय पूर्ण हुये बिना ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट से रंजिशवश उससे पूर्व ही तहसीलदार को आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के संबंध में तहसीलदार द्वारा भी बिना कोई जॉच किये व आवंटन नियमों को देखे बिना जिला कलक्टर के न्यायालय में आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। जिसे जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा भी आवंटन को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही निर्णित कर दिया गया, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों व आवंटन नियमों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के अतिरिक्त किसी अन्य से जांच नही करवाई गई एवं पुनः उसी हल्का पटवारी ने जिससे अपीलान्ट की पूर्व में अन्य मामले में कहासुनी हुई थी उसी से जांच करवा कर तहसीलदार ने स्वयं जांच किये वगैर जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाव पेश किया था। इस जवाब को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के न मानते हुये मात्र हल्का पटवारी की कतई झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.1992 को पारित किया है। तहत अदालत ने अपने निर्णय में यह स्वीकार करते हुये कथन किया है कि अपीलान्ट आवंटी को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में 1/3, 1/3, 1/3 आवंटित भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिऐ था। उसके बाबजूद भी बिना तीन वर्ष पूर्ण हुये जैर निगरानी अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई के लिये स्वीकार कर जैर निर्णय पारित

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया है जो आवंटन नियमों के विपरीत होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं हुई थी क्योंकि अपीलान्ट को उनके वकील द्वारा यह कहा गया था कि उसे तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनके द्वारा जैर निर्णय की जानकारी दी गई। दिनांक 17.07.22 को अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपीलान्ट की आवंटित भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से उसमें लगे हुये पेड पौधों को नष्ट करते हुये अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी करने परदिनांक 18.07.2022 को ज्ञात हुआ कि पूर्व में पेश की गई निगरानी स्वीकार करते हुये अपीलान्ट को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। इस पर अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.1992 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 09.06.89 को किये गये आवंटन को बहाल किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.1992 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 30.08.2022 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.07.2022 को ग्राम लहसोड़ा व डागरवाड़ा के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर कब्जा किये जाने व पेड़ पौधों को नष्ट करने पर होने पर अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने के अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणवागुण का प्रश्न है तो प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से राजस्थान भू राजस्व निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य भूमि आवंटित किये जाने के नियमों के तहत अपीलान्ट की ओर से फार्म नंबर 3 में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ग्राम डागरवाड़ा के खसरा नंबर 3/2 में 16 बीघा भूमि आवंटित किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया। इस आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की अपीलान्ट निजी वन लगाने में रूचि रखता है। आवेदित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं है, आवेदित भूमि बंजर, बीहड, पड़त है, जो कृषि योग्य नहीं है। इसका उपयोग केवल वन विकास हेतु किया जा सकता है तथा उक्त भूमि अन्य किसी प्रयोजन के लिए आरक्षित नहीं है। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को खसरा नंबर 3/2 में से 10 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु लीज पर आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई। इस आधार पर आवंटन सलाहकार समिति की राय के आधार पर उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट को भूमि आवंटित किये जाने का आदेश किया गया तथा आवंटन नियमों के नियम 12(7) के तहत प्रारूप 5 में दिनांक 09.06.89 को आवंटन आदेश जारी किया गया। इस आदेश की पालना में अपीलान्ट को आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 09.06.89 को गवाहों की उपस्थिति में संभलाया गया। अपीलान्ट को आवंटित भूमि के संबंध में तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से तहसीलदार सवाई माधोपुर ने उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के माध्यम से जिला कलक्टर न्यायालय में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा लेने के बाद भी वृक्षारोपण नहीं किया है। जबकि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम अमल दरामद हो चुका है। अपीलान्ट की ओर से आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किया जावे। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलान्ट को पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिसमें अपीलान्ट द्वारा इस आशय का जवाब पेश किया गया है कि उसके द्वारा आवंटित भूमि पर देसी बबूल के फूल लगाए गए हैं, जो मौके पर मौजूद हैं। आवंटित भूमि में सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण दूसरे पेड़ नहीं लगाए जा सके। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट पेश की है। जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब पर तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की। जिसमें यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट ने एक भी पौधा आवंटित भूमि पर नहीं लगाया है। इस आधार पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा आवंटन की शर्त संख्या 13(3) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए अपीलान्ट के पक्ष में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होना मानकर अपीलान्ट को दिनांक 09.06.89 को आवंटित की गई भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत की गई जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2046 में विवादित भूमि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट को आवंटित होने व साविक खसरा नंबर 3/2 रकबा 10 बिस्वा से पानी हाल खसरा नंबर 272/1841 अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज होने का रिकार्ड पेश किया है, परन्तु निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि के एक तिहाई भाग पर वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में किसी तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज पेश नहीं किया है। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस यह अवश्य उल्लेख किया है कि अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि पर बबूल व धोकड़ा के पेड़ लगाए थे, परन्तु बरसात होने के कारण अधिकांश पेड़ सूख गए। वर्तमान में भी आवंटित भूमि पर पेड़ लगे होने का उल्लेख किया है, परन्तु इस तर्क के समर्थन में किसी तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज पेश नहीं किया है। जहां तक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट को निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि को 3 वर्ष का समय पूर्ण हुए बिना ही आवंटन निरस्त किये जाने प्रश्न है तो अपीलान्ट को आवंटित भूमि के संबंध में जारी किये गये आवंटन आदेश की शर्त संख्या 3 के अनुसार आवंटी को वन विभाग के अधिकारियों की राय के अनुसार प्रथम वर्ष में एक तिहाई भूमि पर वृक्षारोपण करना था तथा शेष भूमि पर तीसरे वर्ष तक वृक्ष लगाए जाने थे। उक्त अवधि कब्जा दिये जाने के वर्ष में जुलाई माह से प्रारम्भ होने का उल्लेख आवंटन की शर्त में था। अपीलान्ट को आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 09.06.89 को संभलाया गया था। इस आधार पर अपीलान्ट को माह जुलाई 1989 में आवंटित भूमि के एक तिहाई हिस्से पर वृक्षारोपण करना था तथा जुलाई 1990 व जुलाई 1991 में समस्त आवंटित भूमि पर वृक्षारोपण करना था। इस प्रकार अपीलान्ट को निजी वन विकास हेतु आवंटित समस्त भूमि पर वृक्षारोपण माह जुलाई 1991 तक पूर्ण करना था, जबकि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश उक्त 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद दिनांक 08.06.1992 को पारित किया है। अपीलान्ट की ओर से न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में ही इस तरह का कोई दस्तावेज या रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में एक तिहाई भूमि पर व आगे के 2 वर्षों में शेष रही भूमि पर वृक्षारोपण किया हो। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.92 में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.1992 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर